**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 410**

**दिनांक 30.11.2021/ 9 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए**

**बारिश और बाढ़ से नुकसानः**

**†410. श्री सु. थिरुनवुक्करासरः**
**श्री जी. सेल्वमः**
**श्री एम.के.राघवनः**
**श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः**
**श्री सी.एन. अन्नादुरईः**
**श्री गजानन कीर्तिकरः**
**श्रीमती नुसरत जहां:**
**श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः**
**श्री गौतम सिगामणि पोनः**
**श्री वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः**
**श्री दयाकर पसुनूरीः**
**श्री धनुष एम. कुमारः**
**डॉ. जी. रणजीत रेड्डीः**
**डॉ. ए. चेल्लाकुमारः**
**श्री एस. आर. पार्थिबनः**
**श्रीमती कविता मलोथूः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या देश में हाल के महीनों में हुई भारी बारिश और इसके परिणामस्वरुप आई अचानक बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने आदि से कई राज्य प्रभावित हुए हैं;**

**(ख) यदि हां, तो क्या मारे गए लोगों, विस्थापितों और लापता हुए लोगों की संख्या, खड़ी फसलों व पशुओं के नुकसान और सम्पत्ति को हुई क्षति एवं आर्थिक नुकसान की सीमा के बारे में सरकार की ओर से कोई आकलन कराया गया है और यदि हां, तो तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल समेत राज्य-वार/संघ-राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या लगातार बारिश व बाढ़ की वजह से हुए नुकसान व इससे पर्यावरण को हुई क्षति का अध्ययन कराने के लिए कोई आयोग गठित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त नुकसान की भरपाई और मांगी गई सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल सहित स्वीकृत व निर्गत की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा इसके लिए मापदंड क्या हैं;**

**(ङ) क्षतिग्रस्त कार्यों को करने, किसानों को सहायता पहुंचाने आदि के लिए प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की लगाई गई टीमों का ब्यौरा क्या है, और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों का बचाव किया गया; और**

**(च) ऐसी आपदाओं से निपटने और इस तरह प्रभावित राज्यों में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी तंत्र बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)**

(क) से (घ): देश के विभिन्न राज्य वर्ष 2021 के मौनसून मौसम के दौरान वर्षा, अचानक तेज बाढ़, बाढ़, भू-स्खलन, बादल फटने आदि सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु और केरल राज्यों सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए मूल्यांकन/दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान बाढ़, भू-स्खलन सहित जल मौसम विज्ञानीय आपदाओं के कारण जान-माल तथा फसलों को हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है। तेलंगाना राज्य द्वारा अब तक ऐसे किसी नुकसान का ब्यौरा सूचित नहीं किया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सुस्थापित संस्थागत तंत्र हैं। प्रभावित व्यक्तियों को राहत संवितरित करने सहित आपदा प्रबंधन की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) पहले से ही राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध है। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) द्वारा नुकसानों के मौके पर मूल्यांकन सहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता राहत के लिए दी जाती है न कि हुए/दावे किए गए नुकसान की भरपाई के लिए। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के गठन और प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश https://ndmindia.mha.gov.in/images/NDRFSDRF_ 06042017.pdf पर उपलब्ध हैं। इस मंत्रालय ने वर्षा एवं बाढ़ के कारण जान-माल एवं पर्यावरण को हुए नुकसान का अध्ययन करने के लिए किसी आयोग का गठन नहीं किया है।

**लोक सभा अता. प्र.सं.410 दिनांक 30.11.2021**

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एसडीआरएफ/राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) से किए गए आबंटन एवं रिलीज (15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद) का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है, जिसमें एसडीआरएफ तथा राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) तथा एनडीआरएफ से आबंटन एवं रिलीज का ब्यौरा भी शामिल है।

(ङ): वर्ष 2021 के मौनसून मौसम के दौरान, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमों को देश के बाढ़ की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया जिन्होंने किसानों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिसका ब्यौरा अनुलग्नक-।।। में दिया गया है।

(च): प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए आपदाओं से निपटने की समुचित तैयारी एवं त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। केंद्रीय सरकार ने आपदाओं के बारे में शीघ्र चेतावनी देने संबंधी ठोस प्रणाली स्थापित की है और मौसम पूर्वानुमान की सटीकता काफी बढ़ाई है। पूर्वानुमान एजेंसियां चेतावनी एवं प्रसार संबंधी प्रणालियों को बेहतर करने के लिए लगातार जोर-शोर से प्रयास कर रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों/किसानों को जागरूक करने के लिए मॉक एक्सरसाइज एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन पद्धतियों, आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा की रोकथाम एवं आपदा से निपटने की कार्रवाई संबंधी व्यवस्था काफी बेहतर हुई है जिसके परिणामस्वरूप, देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण शासन की सतत चलने वाली एवं विकसित होने वाली प्रक्रिया है।

******

**लोक सभा अता.प्र.सं. 410 दिनांक 30.11.2021**

**अनुलग्नक-I**

वर्ष 2021-22 के दौरान चक्रवाती तूफानों/भारी वर्षा/बाढ़ों/भू-स्खलनों आदि से हुई क्षति का राज्य-वार ब्यौरा

(अनंतिम) (दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य | मानव जीवन की क्षति (सं.) | पशुधन की हानि (सं.) | घर/झोपड़ियों की क्षति (सं.) | प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 40 | 2,875 | 4,026 | 1.51 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 18 | 98 | 0.02 |
| 3 | असम | 26 | 1 | 390 | 0.67 |
| 4 | बिहार | 53 | 83 | 6,820 | 5.80 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 16 | 279 | 1,986 | -- |
| 6 | गोवा | 3 | 16 | 3,402 | 0.001 |
| 7 | गुजरात | 162 | 9,922 | 1,32,710 | 1.49 |
| 8 | हरियाणा | 4 | -- | -- | -- |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 298 | 1,235 | 1,186 | 0.07 |
| 10 | कर्नाटक | 144 | 1,705 | 57,526 | 13.98 |
| 11 | केरल | 138 | -- | 9,720 | 0.85 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 127 | 2,228 | 70,776 | 1.06 |
| 13 | महाराष्ट्र | 489 | 4,400 | 53,653 | 4.55 |
| 14 | मेघालय | 2 | 20 | 1,556 | -- |
| 15 | नागालैंड | 2 | 3,503 | 948 | 0.17 |
| 16 | ओडिशा | 19 | 4,632 | 28,929 | 1.82 |
| 17 | पंजाब | 18 | 38 | 90 | 0.04 |
| 18 | राजस्थान | 51 | 1,556 | 37,368 | 6.79 |
| 19 | सिक्किम | 9 | 51 | 1,098 | 0.02 |
| 20 | तमिलनाडु | 54 | 6,871 | 11,636 | 0.51 |
| 21 | त्रिपुरा | 6 | 33 | 1,796 | |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 162 | 277 | 11,335 | 3.61 |
| 23 | उत्तराखंड | 107 | 523 | 1,057 | 0.54 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 65 | 12,958 | 3,40,748 | 6.90 |
| 25 | दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र | 1 | 4 | 1,204 | 0.00 |
| | **कुल** | **2,002** | **53,228** | **7,80,058** | **50.40** |

**लोक सभा अता.प्र.सं. 410 दिनांक 30.11.2021**

**अनुलग्नक-II**

**वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान (दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार) एसडीआरएफ/एसडीआरएमएफ और एनडीआरएफ के तहत निधियों के आबंटन और उनको जारी करने के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण**

**(करोड़ रु. में)**

| क्र.सं. | राज्य | राज्य के अंश सहित एसडीआरएफ/एसडीआरएमएफ के तहत आबंटन | | | | एसडीआरएफ/एसडीआरएमएफ में जारी किया गया केंद्रीय अंश | | | | एनडीआरएफ से जारी (सभी आपदाओं के लिए) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 509.00 | 534.00 | 1491.00 | 1192.80 | 458.10 | 324.15 | 1119.00 | 895.20 | 1004.88 | 570.91 | 657.029 | -- |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 60.00 | 63.00 | 278.00 | 222.40 | 54.00 | 56.70 | 250.00 | 200.00 | 132.49 | -- | 59.34 | -- |
| 3. | असम | 532.00 | 559.00 | 858.00 | 686.40 | 478.80 | 503.10 | 772.00 | 617.60 | -- | -- | 44.37 | -- |
| 4. | बिहार | 543.00 | 570.00 | 1888.00 | 1510.40 | 101.815 | 631.12 | 1416.00 | 1132.80 | -- | 953.17 | 1255.27 | -- |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 278.00 | 292.00 | 576.00 | 460.80 | 349.575 | 177.30 | 432.00 | 345.60 | -- | -- | -- | -- |
| 6. | गोवा | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 12.00 | 1.80 | 4.20 | 12.00 | 9.60 | -- | -- | -- | -- |
| 7. | गुजरात | 816.00 | 856.00 | 1765.00 | 1412.00 | 449.95 | 886.80 | 1324.00 | 1059.20 | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 8. | हरियाणा | 356.00 | 374.00 | 655.00 | 524.00 | 320.40 | 227.10 | 491.00 | 392.80 | -- | -- | -- | -- |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 273.00 | 287.00 | 454.00 | 363.20 | 245.70 | 197.23 | 409.00 | 327.20 | 227.29 | 518.06 | 2.90 | -- |
| 10. | जम्मू और कश्मीर * | 295.00 | 310.00 | -- | -- | 252.90 | 405.00 | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 11. | झारखंड | 421.00 | 442.00 | 757.00 | 605.60 | 315.75 | 331.50 | 568.00 | 454.40 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 12. | कर्नाटक | 320.00 | 336.00 | 1054.00 | 843.20 | 288.00 | 204.00 | 791.00 | 632.80 | 959.84 | 3208.28 | 689.27 | 629.03 |
| 13. | केरल | 214.00 | 225.00 | 419.00 | 335.20 | 192.60 | 136.65 | 314.00 | 251.20 | 2904.85 | -- | -- | -- |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1016.00 | 1066.00 | 2427.00 | 1941.60 | 914.40 | 647.10 | 1820.00 | 1456.00 | 334.00 | 1712.14 | 1891.79 | -- |
| 15. | महाराष्ट्र | 1717.00 | 1803.00 | 4296.00 | 3436.80 | 1287.75 | 1352.25 | 3222.00 | 2577.60 | 2088.59 | 5189.40 | 420.12 | 701.00 |
| 16. | मणिपुर | 22.00 | 23.00 | 47.00 | 37.60 | 9.90 | 30.60 | 42.00 | 33.60 | -- | -- | 26.53 | -- |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 28.00 | 29.00 | 73.00 | 58.40 | 12.60 | 38.70 | 66.00 | 52.80 | -- | -- | 16.52 | -- |
| 18. | मिजोरम | 20.00 | 20.00 | 52.00 | 41.60 | 18.00 | 18.00 | 47.00 | 37.60 | -- | -- | -- | -- |
| 19. | नागालैंड | 11.00 | 12.00 | 46.00 | 36.80 | 9.90 | 10.80 | 41.00 | 32.80 | 195.99 | 176.52 | 1.335 | -- |
| 20. | ओडिशा | 865.00 | 909.00 | 2139.00 | 1711.20 | 778.50 | 552.00 | 1604.00 | 1283.20 | 341.72 | 3294.10 | 500.00 | 500.00 |
| 21. | पंजाब | 451.00 | 474.00 | 660.00 | 528.00 | 321.99 | 412.37 | 573.425 | 396.00 | -- | -- | -- | -- |
| 22. | राजस्थान | 1277.00 | 1340.00 | 1975.00 | 1580.00 | 957.75 | 1005.00 | 1481.00 | 1184.80 | 526.14 | 1949.59 | 68.65 | -- |
| 23. | सिक्किम | 36.00 | 38.00 | 56.00 | 44.80 | 32.40 | 34.20 | 50.00 | 40.00 | 54.93 | -- | 73.86 | -- |
| 24. | तमिलनाडु | 786.00 | 825.00 | 1360.00 | 1088.00 | 707.40 | 500.85 | 1020.00 | 816.00 | 900.31 | -- | 286.91 | 213.51 |
| 25. | तेलंगाना | 317.00 | 333.00 | 599.00 | 479.20 | 226.50 | 487.50 | 449.00 | 359.20 | -- | -- | -- | -- |
| 26. | त्रिपुरा | 36.00 | 38.00 | 76.00 | 60.80 | 32.40 | 34.20 | 68.00 | 54.40 | 171.74 | -- | 12.93 | -- |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 781.00 | 820.00 | 2578.00 | 2062.40 | 351.45 | 849.30 | 1933.00 | 1546.40 | 157.23 | -- | -- | -- |
| 28. | उत्तराखंड | 243.00 | 255.00 | 1041.00 | 832.80 | 218.70 | 229.50 | 937.00 | 749.60 | -- | -- | -- | -- |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 598.00 | 628.00 | 1348.00 | 1078.40 | 269.10 | 650.40 | 1011.00 | 808.80 | -- | 958.33 | 2250.28 | 300.00 |
| **कुल** | | **12825.00** | **13465.00** | **28983.00** | **23186.40** | **9658.13** | **10937.62** | **22262.425** | **17747.20** | **10000.00** | **18530.50** | **8257.11** | **3543.54** |

* अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

**लोक सभा अता.प्र.सं. 410 दिनांक 30.11.2021**

**अनुलग्नक-III**

मानसून 2021 के दौरान एनडीआरएफ टीमों की तैनाती और बचाए गए/सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **तैनात की गई अधिकतम टीमें** | **बचाए गए** | **सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 13 | 1,869 | 1,028 |
| 2. | असम | 10 | 0 | 258 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 02 | 02 | 0 |
| 4. | बिहार | 20 | 40 | 1,630 |
| 5. | गुजरात | 20 | 77 | 12 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 05 | 01 | 0 |
| 7. | झारखंड | 04 | 0 | 12 |
| 8. | कर्नाटक | 13 | 70 | 151 |
| 9. | केरल | 18 | 49 | 26 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 09 | 1,849 | 265 |
| 11. | महाराष्ट्र | 34 | 3,851 | 2,326 |
| 12. | ओडिशा | 06 | 15 | 2 |
| 13. | पंजाब | 03 | 01 | 0 |
| 14. | राजस्थान | 03 | 196 | 6 |
| 15. | तमिलनाडु | 08 | 78 | 550 |
| 16. | तेलंगाना | 05 | 1 | 12 |
| 17. | त्रिपुरा | 03 | 0 | 85 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 15 | 2138 | 123 |
| 19. | उत्तराखंड | 17 | 5 | 1,443 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 28 | 139 | 1,340 |
| 21. | पुदुचेरी | 2 | 74 | 51 |
| **कुल** | | **239** | **10,455** | **9,320** |